अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत.

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. मुदवा-२०२४/प्र.क्र.२७/जवि

नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक: २७.०९.२०२४

संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२४/प्र.क्र.२७/जवि, दि.१२.०३.२०२४. २) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि) / जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/१२०१, दि.०३.०९.२०२४.

शासन निर्णय :

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलिवद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलिवद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.)

- २. या पदांच्या आस्थानेवर होणारा खर्च "मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजिनक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १९८)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.
- ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०९२७१४४४२११६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(अ.अ.इनामदार) शासनाच्या अवर सचिव

सोबत:- विवरणपत्र.

प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित :

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई /नागपूर.

- २) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर.
- ३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
- ४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई.
- ५) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव
- ६) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे
- ७) कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, जळगांव
- ८) कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे
- ९) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय : मुदवा -२०२४/प्र.क्र.२७/जवि, दि. २७.०९.२०२४ (दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५)

विवरणपत्र-१ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे

| अ.क्र. | पदनाम | अधीक्षक अभियंता, | कार्यकारी | उप अभियंता, | उप अभियंता, तापी | उप अभियंता, | कार्यकारी | उप अभियंता, | उप अभियंता, | उप | एकूण |
|--------|--------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|
| | | तापी गोदावरी | अभियंता, | तापी | जलविद्युत व उपसा | तापी जलविद्युत | अभियंता, तापी | तापी | तापी जलविद्युत | अभियंता, | |
| | | जलविद्युत व उपसा | तापी | जलविद्युत व | सिंचन उपविभाग | व उपसा सिंचन | जलविद्युत व | जलविद्युत व | व उपसा सिंचन | तापी | |
| | | सिंचन मंडळ, | जलविद्युत व | उपसा सिंचन | क्र.२, जळगांव | उपविभाग, | उपसा सिंचन | उपसा सिंचन | विभाग क्र.२, | जलविद्युत व | |
| | | जळगाव | उपसा सिंचन | उपविभाग | | मुक्ताईनगर | विभाग, धुळे | विभाग क्र.१, | नंदुरबार | उपसा सिंचन | |
| | | | विभाग, | क्र.१, जळगांव | | | | धुळे | | विभाग क्र.३, | |
| | | | जळगांव | | | | | | | शहादा | |
| १ | २ | 3 | 8 | ų | ξ | 9 | ۷ | 9 | १० | ११ | १२ |
| १ | कार्यकारी अभियंता | - | ०१ | | | | ०१ | | | | ०२ |
| २ | उपअभियंता | - | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | | ०१ | ०१ | 00 |
| ३ | कनिष्ठ अभियंता/शा. | १ | | ٥,8 | ०१ | ٥٨ | ο3 | | ٥8 | ٥8 | २१ |
| | अ./स.अ.श्रेणी-२ | | | | | | | | | | |
| Х | विभागीय लेखापाल | - | ०१ | | | | ०१ | | | | ०२ |
| ц | प्रथम लिपिक | - | | | | | ०१ | | | | ०१ |
| ६ | वरिष्ठ लिपिक | - | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | ०५ | ०१ | ०१ | ०१ | १२ |
| 9 | कनिष्ठ लिपिक | R | ०३ | ०२ | ०१ | ०२ | ०९ | ०१ | ०२ | ०२ | २६ |
| | /लिपिक टंकलेखक | | | | | | | | | | |
| ۷ | भांडारपाल | - | | | | | ०१ | | | | ०१ |
| 9 | मुख्य आरेखक | १ | | | | | | | | | ०१ |
| १० | आरेखक | - | | | | | ०१ | | | | ०१ |
| ११ | अनुरेखक़ | - | | ०१ | | ०१ | ०१ | | | ०१ | ०४ |
| १२ | वाहनचालक | १ | | | ०१ | ०१ | ०१ | | ०१ | ०१ | ०६ |
| १३ | शिपाई | - | ०१ | ०२ | ०१ | ०२ | ०५ | ०२ | ०२ | ०२ | १७ |
| १४ | चौकीदार | - | | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | 00 |
| १५ | तारतंत्री | - | | ०१ | ०१ | ०१ | ०१ | | ०१ | ०१ | ०६ |
| १६ | वीजतंत्री | - | | | ०१ | ०१ | | | | ०१ | ०३ |
| | एकूण | 00 | ०८ | १३ | ०९ | १५ | ३२ | ०५ | १३ | १५ | ११७ |

(अ.अ.इनामदार) शासनाच्या अवर सचिव